## सार-समाचार

### गोदाम में आग, जली सिगरेट ले गए लोग

**पाली**, (नि.सं.)। पाली में शुक्रवार देर रात को अज्ञात कारण से एक एक दुकान के गोदाम में आग लग गई। सूचना पर दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक दुकान में रखे सिगरेट के पैकेज, ट्रॉफी, चाकलेट सहित अन्य सामान जल गया था। पाली शहर के टैगोर नगर निवासी महावीर जैन की इंद्रा कॉलोनी शिव मंदिर के पास मेडिकल शॉप है। शॉप के पास ही उनकी दूसरी शॉप में सिगरेट के पैकेज, दवाइयां, ट्रॉफी, चाकलेट आदि सामान रखा हुआ था। शुक्रवार देर रात करीब एक बजे अचानक दुकान से आग की लपटे उड़ने लगी। पड़ोस में रहने वाले दुकानदार ने कॉल कर उन्हें सूचना दी। वे तुरंत मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी दमकलकर्मियों को दी। मौके पर पहुंचे फायर बिठोड कार्मिकों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जल चुका था। शनिवार सुबह दुकान में पड़े जले सामान में से कुछ महिलाएं ढूंढ कर सिगरेट के पैकेट, ट्रॉफियों के डिब्बे ले जाते हुए नजर आए। शनिवार सुबह लोग मौके पर जुट गए।

### गिरफ्तारी पर रोक, परिवादी को नोटिस

**जोधपुर**, (कासं) । मारवाड़ मुस्लिम एज्युकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी के तत्कालीन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधडी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर, गबन करने के आरोप में देव नगर पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जिस पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने याचिकाकर्ता मोहम्मद अतीक व अन्य को राहत प्रदान करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सपना वैष्णव ने हाईकोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ निराधार, झूठा व द्वेशतावस मामला दर्ज करवाया गया हैं। जिसमें कोई सत्यता नहीं हैं। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले की केस डायरी, अगली तारीख पर पेश करने और परिवादी शौकत मोहम्मद को नोटिस जारी करने के आदेश दिये। साथ ही अगली सुनवाई होने तक याचिकाकर्ता मोहम्मद अतीक, मोहम्मद अली चुंदडीगर, निसार अहमद खिलजी, अतार्रहमान कुरैशी, अब्दुल्लाह खालिद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

### शैक्षिक महासंघ का अधिवेशन संपन्न

**जोधपुर**, (कासं) । अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (उच्च शिक्षा) का 63वां दो दिवसीय प्रदेश अधिवेशन आज जोधपुर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति को मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने उच्च शिक्षण में नवीन शिक्षा पद्दित विषय पर अपना व्याख्यान दिया। अपने संबोधन में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व, उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव, और आधुनिक व पारंपरिक शिक्षा के समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। अधिवेशन में राजस्थान के प्रतिष्ठित शिक्षाविद् एवं विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. गोविंद सहाय शुक्ल और डॉ. राजीव सोनी सहित विभिन्न संस्थानों के गणमान्य जन उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई दृष्टि और दिशा प्रदान करने का कार्य किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षाविदों, शोधार्थियों और छात्रों ने भाग लिया।

### अधिवक्ताओं के मृत्यु दावों का निस्तारण

**जोधपुर**, (कासं)। राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष की न्यासी समिति की बैठक शनिवार को बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के-कार्यालय, जोधपुर में भुवनेश शर्मा (जरिये वीडियो कॉन्फेंसिंग) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अधिवक्ता कल्याण कोष की न्यासी समिति के बैठक में 26 अधिवक्ताओं के मृत्यु दावों का निस्तारण कर उनके आश्रितों को एक करोड तैंतालीस लाख तीन हजार रूपए (1,43,03,000/-), बीमारी दावों में 14 अधिवक्ताओं को ग्यारह लाख पचास हजार पांच सौ रूपए (11,50,500/-) एवं सेवानिवृत्ति दावों में 10 अधिवक्ताओं को उनहतर लाख सतानवे हजार रूपए (69,97,000/-) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार न्यासी समिति ने कुल 50 दावों का निस्तारण कर, कुल दो करोड चैबीस लाख पचास हजार पांच सौ रूपए (2,24,50,500/-) राशि की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में न्यासी समिति के सदस्य डॉ. सचिन आचार्य, योगेन्द्र सिंह शक्तावत तथा विशेष आमंत्रित सदस्य देवेन्द्र सिंह राठौड, उपाध्यक्ष, सैयद शाहिद हसन एवं राजेश पंवार भी बैठक में उपस्थित रहे।

### दो मकान व मंदिर में चोरी

**जोधपुर**, (कासं) । प्रातपनगर सदर थाने में दी रिपोर्ट में अग्रवालं की बगेची, हनुमान मंदिर के पास पांचवी रोड़ निवासी रूद्धप्रकाश अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि 10 जनवरी की आधी रात्रि के समय नकबजनों ने ऊसके मकान के दरवाजे को तोडक़र अन्दर घुसे और अलमारी और बक्से में रखी करीब 70-80 हजार रूपये की नकदी और चांदी के जेवरात चुराकर ले गये। दूसरी तरफ प्रतापनगर थाने में दी रिपोर्ट में हुडको क्वार्टर विश्वकर्मा कॉलोनी प्रतापनगर निवासी तेज कंवर जाट ने पुलिस को बताया कि 21 दिसंबर को अज्ञात नकबजनों ने उसके घर में घुसकर उसकी सोने की कंठी चुराकर ले गया। राजीव गांधी नगर थाने में दी रिपोर्ट में बड़ली में स्थित गौशाला एवं पर्यावरण विकास सेवा समिति के सचिव नारायणसिंह पुत्र अचलसिंह राजपुरोहित ने पुलिस को बताया कि रात्रि के समय अज्ञात व्यक्ति ने बड़ली भैरूजी मंदिर में रखी समिति की एक भेंट पात्र को तोडक़र उसमे रखी करीब दो हजार रूपये की नकदी निकाल कर ले गया।

### चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जोधपुर के चुनाव आज

**जोधपुर**, (कासं) । इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) जोधपुर ब्रांच के चुनाव 12 जनवरी को होंगे। पाल-चौपासनी लिंक नहर रोड स्थित आईसीएआई भवन में बनाए गए मतदान केंद्र पर करीब 2500 सदस्य मतदान कर आईसीएआई प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। आईसीएआई के जोधपुर चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष अजय सोनी ने बताया- मतदान प्रक्रिया सुबह 8 से शाम 6:30 बजे तक होगी। आईसीएआई चुनाव आयोग ने सभी सदस्यों से समय पर मतदान केंद्र पर पहुंचने और अपने-अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की है। सोनी के अनुसार इस साल कार्यकारिणी का चुनाव 4 सालों के लिए किया जाएगा, जिसमें 14 सदस्य अपना भाग्य आजमाएंगे। इनमे से 9 सदस्यों की कार्यकारिणी बनेगी, जो साल 2025-2029 तक जोधपुर ब्रांच का काम देखेगी।

# 'चोरी की दावा राशि अदा करने के वास्ते बीमा कंपनी जवाबदेह'

- नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को दावा राशि मय ब्याज और हर्जाना अदा करना होगा
- उच्च न्यायालय की न्यायाधीश डॉ. नूपुर भाटी ने बीमा कंपनी की रिट याचिका खारिज की

**जोधपुर**, (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायाधीश डॉ. नूपुर भाटी ने बीमा कंपनी की रिट याचिका खारिज करते हुए कहा है कि बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों की पालना नहीं करने के बावजूद बैंक कर्मचारी की लापरवाही और धोखाधड़ी तथा कपटपूर्ण कार्रवाई से मार्गस्थ धन की चोरी की दावा राशि अदा करने के वास्ते बीमा कंपनी जवाबदेह और जिम्मेदार है।

स्थाई लोक अदालत के आदेश की पालना में अब नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को दावा राशि 14 लाख 50 हजार रुपए मय ब्याज और 25 हजार रूपए हर्जाना अदा करना होगा।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने रिट याचिका दायर कर कहा कि स्थाई लोक अदालत, चित्तौड़गढ़ ने 9 अप्रैल 2024 को बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का परिवाद गलत मंजूर किया है क्योंकि बैंक कर्मचारी जानकीलाल ने पुलिस में दर्ज प्रथम सूचना रपट में बताया कि वह कपासन शाखा से जब बैग में राशि ला रहा था तो बस स्टैंड पर गाय ने उसे गिरा दिया और बैग चोरी हो गया, जबकि बाद में पुलिस ने पाया कि बैग दुकान के बाहर कुर्सी पर वैसे ही रखने से चोरी हो गया। बैंक की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि बैंक द्वारा बीमा नवीकरण प्रस्तावना प्रपत्र और बीमा पॉलिसी के तहत किया गया स्थाई लोक अदालत का फैसला विधि सम्मत होने से रिट याचिका खारिज की जाए।

राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायाधीश डॉ नूपुर भाटी ने बीमा कंपनी की रिट याचिका खारिज करते हुए कहा कि बैंक ने इस शर्त के साथ बीमा प्रस्तावना प्रपत्र भेजा था कि बैंक की शाखाओं में आवागमन का साधन नहीं होने से धनराशि बिना गनमैन के पैदल, मोटरसाइकिल या बस में जा सकती है और बीमा कंपनी ने बैंक द्वारा प्रेषित प्रीमियम स्वीकार कर जब एक बार पॉलिसी जारी कर दी तो नुकसान के समय यह नहीं कहा जा सकता कि धनराशि बॉक्स में चैन और ताला लगा कर नहीं ले जा कर बैग में रख कर ले जाई गई। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी की शर्तों से बाधित है और रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश बीमा पॉलिसी संविदा से ऊपर नहीं है।

उन्होंने कहा कि बीमा शर्त के मुताबिक बीस लाख से कम मार्गस्थ धन राशि की सुरक्षा वास्ते सशस्त्र गार्ड की आवश्यकता नहीं है और बीमा पॉलिसी के तहत बैंक कर्मचारी ने धोखाधड़ी, लापरवाही या कपटपूर्ण कार्रवाई की है तो बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी संविदा के तहत दावा राशि अदा करने के वास्ते जवाबदेह और जिम्मेदार है और बैंक प्रबंधन ने कर्मचारी को गलत प्रथम सूचना रपट दर्ज करने वास्ते अपनी सहमति नहीं दी है। स्थाई लोक अदालत ने बैंक का परिवाद मंजूर करने में कोई गलती नहीं की है। बैंक के अधिवक्ता अनिल भंडारी की बात पर सहमति जताते कहा है कि लोक अदालत के आदेश की पालना में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को दावा राशि 14 लाख 50 हजार रुपए मय ब्याज और 25 हजार रूपए हर्जाना अदा करना होगा।

# एस.एन. मेडिकल कॉलेज में विश्व हिंदी दिवस मनाया

**जोधपुर**, (कासं)। डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के केंद्रीय पुस्तकालय के अंतर्गत विश्व हिंदी दिवस पर प्रिंसिपल डॉ. बी.एस. जोधा ने विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के महत्व को समझाते हुए कहा कि मातृभाषा में व्यक्त विचार अधिक प्रभावी और सरल होते हैं। उन्होंने छात्र-छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि अपनी भाषा को सम्मान दें और किसी भी स्थिति में हिंदी बोलते समय हिचकिचाहट महसूस न करें। समय का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्य को हमेशा निर्धारित रखें।

मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉ. किशोर खत्री ने अपने संबोधन में छात्र-छात्राओं को यह दिशा निर्देश दिया कि अन्य भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है, लेकिन हमारी अपनी भाषा को बोलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। डॉ. खत्री ने बताया कि अब मेडिकल की पढ़ाई के लिए हिंदी में भी किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं और सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि हिंदी को आत्मविश्वास के साथ बोलें और इसे अपनी ताकत समझें, न कि कमजोरी। अपनी भाषा को सम्मान दें।

पुस्तकालय अध्यक्ष बिंदू टाक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए छात्रों को पुस्तकों से जुड़ने और उनका अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, हिंदी हमारी जड़ों से जुड़ने का माध्यम है और हमें इसे आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। हमें केवल पाठ्यक्रम की किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रेरणादायक कहानियाँ, आत्मकथाएँ और महान व्यक्तित्वों की जीवनी पढऩे से न केवल ज्ञान बढ़ता है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है और तनाव कम होता है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा किताबें करती हैं बातें, आज की, कल की और बीते हुए हर पल की।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पुस्तकालय का उद्देश्य है बच्चों को किताबों से जोडऩा ताकि वे न केवल अपने विषयों में बल्कि जीवन के हर पहलू में ज्ञान अर्जित कर सकें।

# 'स्थानांतरण किए जाने के आदेश पर रोक'

- राजकीय मेडिकल कॉलेज जोधपुर से राजमेस सोसाइटी संचालित मेडिकल कॉलेज जैसलमेर करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

**जोधपुर**, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजकीय मेडिकल कॉलेज जोधपुर से राजमेस सोसाइटी संचालित मेडिकल कॉलेज, जैसलमेर में डेपुटेशन/स्थानान्तरण किये जाने के आदेश पर रोक लगाई है। इस बारे में अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। याची चिकित्सक शिक्षक की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पैरवी की। रिट याचिका की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट न्यायाधीश अरूण मोंगा की एकलपीठ ने अंतरिम आदेश दिए।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने रिट याचिका पेश कर बताया कि वर्तमान में राजस्थान सरकार के अधीन कुल छह मेडिकल कॉलेज है जो क्रमशः जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एवं जयपुर में है तथा इन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक शिक्षक पर राजस्थान सेवा नियम और राजस्थान पेंशन नियम लागू होते हैं, जबकि अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी बनाकर इसका पंजीयन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 10 अक्टूबर 2016 को करवाया गया और इसके अधीन खोले जाने वाले मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अलग से सेवा नियम 2017, 2022, 2024 बनाये गए। तदनुसार राजमेस के अधीन व संचालित मेडिकल कॉलेज में राजस्थान सेवा नियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

याचिकाकर्ता डॉ. एस एन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में वरिष्ठ आचार्य के पद पर कार्यरत हैं और नियमानुसार उसका पदस्थापन और स्थानांतरण राजमेस संचालित मेडिकल कॉलेज में याचिकाकर्ता की इच्छा के बिना नहीं किया जा सकता है और न ही राजमेस संचालित मेडिकल कॉलेज में उसकी इच्छा के बगैर उसका डेपुटेशन किया जा सकता है। बावजूद इसके, याचिकाकर्ता का पदस्थापन/डेपुटेशन आक्षेपित 30 दिसम्बर 2024 से राजमेस संचालित मेडिकल कॉलेज, जैसलमेर में कर दिया गया, जो गैर क़ानूनी है। याची के अधिवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार के छह मेडिकल कॉलेजों से चिकित्सक शिक्षकों का स्थानान्तरण अग्रिम आदेशों तक का कह कर किया जाता रहा है जो नियमानुसार सही नहीं है और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग/ एनएमसी, नई दिल्ली द्वारा किये जाने वाले सामयिक निरीक्षण में निर्धारित चिकित्सक शिक्षकों के आँकड़े पूरे दिखाने और निरीक्षण टीम की आंखों में धूल झोंकने मात्र के उद्देश्य से सीमित समय के लिए चिकित्सक शिक्षकों का पदस्थापन/डेपुटेशन/स्थानान्तरण किया जाता रहा है, जो विधि विरुद्ध है।

याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ता राजमेस सोसाइटी के सेवा का सदस्य नहीं है बल्कि वह राजस्थान एजुकेशन मेडिकल सेवा का सदस्य हैं जो सेवा नियम 1962 से शासित होता है, ऐसे में उसके मूल कैडर से बाहर स्थानान्तरण किया जाना राजस्थान सेवा नियम के विरुद्ध होकर अवैध और असंवेधानिक है तथा राजमेस का अतिरिक्त निदेशक उसका नियुक्ति अधिकारी भी नहीं है। अतिरिक्त निदेशक, राजमेस द्वारा बिना अधिकारिता और बिना प्रशासनिक सक्षमता के आक्षेपित आदेश जारी किया गया है जो पूर्णत अवैध हैं। रिट याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमत होते हुए हाइकोर्ट की एकलपीठ ने डेपुटेशन आदेश 30 दिसंबर 2024 की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को जवाब तलब किया है। अगली पेशी 21 फरवरी नियत की है।

# नागौर सी.एम.एच.ओ. को अगली पेशी पर हाजिर रहने के आदेश दिए

- अनुभव प्रमाण पत्र को सत्यापित कर जयपुर नहीं भेजने को हाइकोर्ट ने गंभीर माना

**जोधपुर**, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश को एक महीना बीत जाने के बावजूद पालना नहीं करने व अनुभव प्रमाण पत्र को सत्यापित कर निदेशालय जयपुर नहीं भेजने पर गंभीरता से लिया है। आदेश की पालना नहीं करने पर नागौर सीएमएचओ को अगली पेशी को हाज़िर रहने के आदेश जारी किए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट न्यायाधीश अरूण मोंगा की एकलपीठ ने आदेश दिए।

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, साल्ट रोड, डीडवाना को पीपीपी मोड पर दिए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं को चिकित्सा विभाग द्वारा जरिये संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्त किया गया था और सेवाकाल के दौरान पारिश्रमिक का भुगतान प्लेसमेंट एजेंसी की सुविधानुसार नक़द और जरिये बैंक खाते में किया जाता रहा और याचीगण लगातार सेवारत रहे हैं और नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए विज्ञापन 5 मई 2023 को निकाले जाने पर तत्कालीन सीएमएचओ द्वारा निर्धारित परफॉर्मा में समस्त अटेंडेंस, बिल और वाउचर से मिलान कर कार्य अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया, लेकिन अब अस्थायी मेरिट लिस्ट निकाले जाने के बाद निदेशालय ने सभी सेवारत संविदा अभ्यर्थियों का कार्य अनुभव का पुनर्सत्यापन करवाने के लिए सभी सीएमएचओ को 22 नवम्बर 2023 को निर्देश दिए, लेकिन नागौर के सीएमएचओ ने कार्य अनुभव का पुनर्सत्यापन करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि याचीगण की नियुक्ति उसके कार्यकाल में नहीं हुई थी, जिस पर अधिवक्ता यशपाल ख़िलेरी के जरिये रिट याचिकायें दायर की गई।

रिट याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के समय अन्तरिम आदेश 3 दिसंबर 2024 से एक पद रिक्त रखने सहित सीएमएचओ नागौर को याचिकाकर्ता का कार्य अनुभव का सत्यापन कर निदेशालय, जयपुर को भेजे जाने के स्पष्ट आदेश दिए गए, ताकि याचिकाकर्ता को नर्सिंग ऑफिसर पद पर नियुक्ति को लेकर कंसीडर किया जा सके, लेकिन करीब एक माह बीत जाने के बाद भी सीएमएचओ नागौर ने कार्य अनुभव का सत्यापन कर जयपुर नहीं भेजा।

सीएमएचओ नागौर के कार्यालय से याचिकाकर्ता को मौखिक बताया गया कि हाइकोर्ट के आदेश से कुछ नहीं होता है, निदेशालय, स्वास्थ्य भवन, जयपुर से आदेश आने पर ही कार्य अनुभव का सत्यापन कर निदेशालय, जयपुर को भेजा जा सकता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को बताया गया कि एक तरफ एक माह बीत जाने के बाद भी न्यायालय के अंतरिम आदेश की पालना नहीं की जा रही और दूसरी ओर निदेशालय से 9 जनवरी को नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिया गया, जिससे याचीगण को कटऑफ से ज्यादा अंक होने के बाद भी नियुक्ति से वंचित रहना पड़ा है, जिस पर हाइकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व आदेश की पालना नहीं होने की स्थिति में नागौर सीएमएचओ को व्यक्तिशः तलब करते हुए प्रकरण की अगली पेशी 23 जनवरी नियत की है।

## दो जगह से बाइक चोरी

**जोधपुर**, (कासं) । विवेक विहार थाने में दी रिपोर्ट में मूलतया पाली के सेंदड़ा के सुगलिया सोडपुरा हाल एन सेक्टर विवेक विहार निवासी मनफूल पुत्र बाबूलाल काठात ने पुलिस को बताया कि अज्ञात व्यक्ति 9 जनवरी से 10 जनवरी की सुबह के बीच में घर में खड़ी की उसकी बाइक को चुराकर ले गया। इसी तरह भगत की कोठी थाने में दी रिपोर्ट में संगम नगर बासनी प्रथम फेस निवासी हनुमानराम पुत्र लाखाराम सुथार ने पुलिस को बताया कि 10 जनवरी की शाम के समय देवननारायण मंदिर के सामने श्रीयादे हाुस के बाहर खड़ी की उसकी बाइक को वाहन चोर चुराकर ले गया।

## युवक ने खुदकुशी की

**जोधपुर**, (कासं) । जोधपुर शहर के रातानाडा स्थित वाल्मिकी बस्ती में रहने वाले एक युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या का कारण पता नहीं चला है।

रातानाडा पुलिस ने बताया कि केसर बाग वाल्मिकी बस्ती रातानाडा निवासी विनोद टाक पुत्र मदनलाल वाल्मिकी ने इस बारे मर्ग में रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसके पुत्र हेमंत (20) ने घर पर फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली।

उसके आत्महत्या किए जाने का कारण पता नहीं चला है। शव को कार्रवाई के बाद परिजन के सुपुर्द कर दिया गया।

## डॉक्टर कल्ला का सम्मान

**जोधपुर**, (कासं) । डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक्स विभाग से सेवानिवृत वरिष्ठ प्रोफेसर राजेश्वर कल्ला के उल्लेखनीय एवं सराहनीय सेवाओं के लिए लाइफ टाइम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। उदयपुर में 10 एवं 11 जनवरी को दो दिवसीय संपन्न राजस्थान ऑर्थोपेडिक्स सर्जन एसोसिएशन रोसाकौन द्वारा एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ0 राम सिंह ने डॉक्टर कल्ला द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान जटिल ऑपरेशन एवं शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जनरल में प्रकाशित होने पर सम्मानित किया गया।

# युवक के साथ मारपीट, दो भाई पकड़े

**बाड़मेर/गुड़ामालानी**, (नि.सं.)। युवक के साथ मारपीट करने का सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो पर बाड़मेर जिले की गुड़ामालानी थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दो जनों को दस्तयाब किया है। पकड़े गए दोनों युवक ईशरा राम कलबी पुत्र अचला राम व भला राम कलबी निवासी खारवा थाना गुड़ामालानी सगे भाई हैं।

एसपी नरेन्द्र सिंह मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार 10 जनवरी को पुलिस थाना गुड़ामालानी क्षेत्र के भाखरपुरा गांव में मोटरसाइकिल चोरी के शक में श्रवण कुमार मेघवाल पुत्र गंगदाराम (25) निवासी खारवा के साथ उसके पड़ौसी ईशरा राम कलबी एवं अन्य द्वारा मारपीट की गई। जिसका वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

एसपी मीना ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संबंध मे पूर्ण जानकारी कर कार्रवाई करने के लिए गुड़ामालानी पुलिस को निर्देश दिये गये। जानकारी में सामने आया कि पीड़ित श्रवण कुमार के विरूद्ध पूर्व में 2 प्रकरण वाहन चोरी एवं 1 प्रकरण बलात्कार का दर्ज है, मगर किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करना गैर कानूनी होने से घटना को गम्भीरता से लेते हुए परिवादी को थाने पर लाया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई।

थाना गुड़ामालानी में मामला एससी/एसटी एक्ट में दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक त्वरित अनुसंधान सैल बाड़मेर द्वारा किया जा रहा है। पीड़ित का मेडिकल करवाया जाकर आरोपियों की तलाश शुरू की गई।

उक्त घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस द्वारा तत्परता से अलग-अलग टीमो का गठन कर वारदात करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर अब तक घटना करने वाले ईशराराम व भलाराम को दस्तयाब कर लिया है। जिनसे पूछताछ की जा रही है। घटना मे शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है रही है, जिन्हें भी शीघ्र ही दस्तयाब किया जाएगा।

# राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई

पाली में रामदेव रोड स्थित श्री सिद्ध बालाजी मंदिर से शोभायात्रा निकाली। फोटो-राष्ट्रदूत

**पाली** , श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर रामदेव रोड स्थित श्री सिद्ध बालाजी मंदिर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई।

मंदिर पुजारी केसर दास वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताएं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के एक वर्ष पूर्ण होने पर श्री सिद्ध बालाजी मंदिर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई इस दौरान श्री राम माता सीता और भगवान हनुमान की झाकी का विशेष स्वरूप इस शोभायात्रा दिखा।

यह शोभायात्रा रामदेव रोड से शुरू हुई जो सिंधी कॉलोनी, पानी दरवाजा, सराफा बाजार, धान मंडी से होते हुए वापस रामदेव रोड स्थित सिद्ध बालाजी मंदिर जाकर संपन्न हुई। इस कार्यक्रम के संयोजक श्री सिद्ध बालाजी मंदिर महाकाल नवयुवक मंडल के अध्यक्ष राहुल प्रजापत , कोषाध्यक्ष नवरत्न वैष्णव , सचिव राजवीर सिंह चौहान, हरी ओम वैष्णव, दशरथ सिंह, विपुल चौहान , मोतीलाल बंजारा, रूपाराम डालिया सहित शहरवासी मौजूद रहे। इस दौरान जगह पर स्वागत भी किया गया। सुरक्षा को लेकर पुलिस के जवान भी तैनात रहे।

## पाली अरबन बैंक का 39 वां स्थापना दिवस मनाया

**पाली**, (नि.सं.)। पाली अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि. के 39 वर्ष पूर्ण होने बैंक के प्रधान कार्यालय, पाली में शनिवार को ग्राहक सम्मेलन आयोजित कर स्थापना दिवस मनाया गया।

कर्यक्रम बैंक के संचालक मंडल के सदस्यों, बैंक के पूर्व संचालक, पूर्व प्रबन्ध संचालक, बैंक के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा समाजसेवियों, व्यापारियों, ग्राहकों इत्यादि सहित कुल 200 सदस्यों ने भाग लिया। राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पाली के नेत्र विभाग को मोतियाबिंद के मरीजों की जांच व लेंस फिटिंग में सहयोग हेतु वांछित मशीन ऑपथलमीक साउण्ड स्केनर 240800 रू को भेंट किया गय।

बैंक में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाती है। ग्रहक सम्मेलन में बैंक के पूर्व अध्यक्ष उम्मेदमल बलाई व गौतमचन्द धारीवाल एवं संस्थापक प्रबन्ध संचालक मदनगोपाल अरोड़ा को माला, साफा पहनाकर अभिनन्दन किया गया एवं मोमेन्टो प्रदान कर सम्मानित किया गया । ठाहक सम्मेलन में पूर्व उपाध्यक्ष नन्दकिशोर बंसल, बैंक प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कैलाशचंद्र टवाणी, सरस डेयरी अध्यक्ष प्रतापसिंह बिठिया, कृष्णकांत शर्मा, घनेश भटनागर इत्यादि ने विचार व्यक्त किये। संचालक मीरा गुप्ता, प्रवीण धारीवाल, कैलाशचन्द्र अखावत, हीरालाल पंवार, मनीष जैन, तृप्ती मेहता, रितू मेहता, पायल जैन, शांतिलाल जैन, पूर्व संचालकों, पाली के एनजीओ इत्यादि ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

# उर्स कमेटी ने पूर्व शासक गजसिंह का स्वागत किया

पूर्व शासक गजसिंह ने सरदार समंद में 9 गज बाबा की मजार पर पुष्पांजलि अर्पित की।

**जोधपुर**, (कासं)। पूर्व शासक गजसिंह ने सरदार समंद में 9 गज बाबा की मजार पर पुष्पांजलि अर्पित की।

जनरल मैनेजर सरदार समद पैलेस सुमेर सिंह ने बताया कि सरदार संबंध में 9 गज बाबा के उर्स का आयोजन शनिवार को हुआ जिसमें पूर्व शासक गजसिंह ने जाकर बाबा की मजार पर पुष्प अर्पित किए।

उन्होंने बताया कि उर्स आयोजन कमेटी के सदर नूर मोहम्मद, वाइस सदर अल्लाह बख्श, सेक्रेटरी जाहिर मकरानी, कैशियर सुमार खान, दरगाह के सलाहकार कासिम खान, दरगाह मुन्तजिम वाहिद खान पप्पू साचंदलाई, सलीम भाई सरदार समंद व दरगाह कमेटी के पदाधिकारियों ने गजसिंह का माला पहनाकर स्वागत किया।